(५)

...यालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–106/17 धारा–144 दं0प्र0सं0

जगदीश यादव –बनाम– भुवनेश्वर प्रजापति वगै0

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति
26/12/17	यह वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर दिनांक 03.11.2017 को दं0प्र0सं0–144 अन्तर्गत वाद आरम्भ करने के लिये प्रश्नगत भूमि के लिये उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष से कारणपृच्छा प्राप्त है।	

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

मौजा–रालो, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग।

खाता सं0	पुराना प्लॉट सं0	नया प्लॉट सं0	रकबा	चौहदी
01	16	594	0.28 ए0	उ0–सुकर कुम्हार द0–सुकर कुम्हार पू0–कार्तिक महतो प0–हनिफ मियां
01	12	314	0.33 ए0	उ0–फगु प्रजापति द0–रास्ता पू0–सुकर कुम्हार प0–तिलक यादव
01	12	297	0.62 ए0	उ0–गणपत महतो द0–सुकर कुम्हार पू0–सुकर कुम्हार प0–लेखधारी
01	–	344	0.16 ए0	उ0–कार्तिक महतो द0–जगदीश महतो पू0–जितन महतो प0–हनिफ मियां

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खाता सं0–01 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। सुकर कुम्हार और उनका भाई भवानी प्रजापति जो बेन्दगी ग्राम के विस्थापित परिवार को डी0वी0सी0 द्वारा 05 ए0 भूमि मौजा–रालो के खाता सं0–01 अन्तर्गत बन्दोबस्त किया गया। कालान्तर में सुकर कुम्हार और भवानी कुम्हार ने खाता सं0–01, प्लॉट सं0–16, 12 एवं अन्य भूमि का आपस में बंटवारा कर लिया। भवानी प्रजापति एवं उनके पुत्र सरजु प्रजापति ने प्रश्नगत भूमि के 1.39 ए0 भूमि के लिये वर्ष–1980 में प्रथम पक्ष से पूर्ण राशि प्राप्त कर ली, परन्तु किसी कारणवश भूमि का निबंधन नहीं हो सका, परन्तु प्रथम पक्ष तभी से प्रश्नगत भूमि के दखल कब्जे में है और शांतिपूर्वक कृषि कार्य करता है। उक्त सरजु प्रजापति ने दिनांक 22.07.2016 को प्रथम पक्ष के हित में निबंधित केवाला करने हेतु एक एग्रीमेन्ट भी किया है। द्वितीय पक्ष के लोग बिना किसी स्वत्व के अवैध तरीके से दखल कब्जा करने की कोशिश कर रहे है। इसके लिये वर्ष–2016 में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके जांच में अंचल अधिकारी, बरही ने प्रश्नगत भूमि को प्रथम पक्ष के कब्जे में पाया था। प्रश्नगत भूमि से संबंधित बन्दा पर्चा भी प्रथम पक्ष के नाम से निर्गत है।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किये है:–

1. प्रश्नगत भूमि के विक्रय के लिये उभय पक्षों के बीच दिनांक 22.07.2016 को हुए एकरार नामा की छायाप्रति।
2. बरही थाना के पुलिस अवर निरीक्षक का दिनांक 21.09.2016 का जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति।
3. अंचल अधिकारी, बरही का थाना प्रभारी, बरही को प्रेषित पत्रांक 657, दिनांक 31.10.2016 की छायाप्रति।
4. प्रश्नगत भूमि से संबंधित बन्डा पर्चा की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष द्वारा सरजु प्रजापति और जगदीश प्रजापति के नाम से दाखिल किया गया एकरार नामा जाली है और प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि पर कोई दखल दावा नहीं है। द्वितीय पक्ष के पिता सुकर कुम्हार बन्दोबस्त रैयत है, जिन्हे डी0वी0सी0 के द्वारा उनके बेन्दगी मौजा में अधिग्रहित भूमि के बदले मुआवजा के तौर पर प्रश्नगत भूमि डी0वी0सी0 से बन्दोबस्ती में प्राप्त हुई है, जिसे द्वितीय पक्ष ने कभी भी किसी को विक्रय नहीं किया है। तथाकथित सरजु प्रजापति एवं जगदीश प्रजापति, पिता–भवानी प्रजापति को रालो मौजा के स्थान पर राघवटांड, पुराना थाना–चौपारण, वर्तमान थाना–चन्दवारा में मुआवजा के तौर पर भूमि प्राप्त हुआ है तथा वे कभी भी रालो मौजा में नहीं आये है। यदि सुकर कुम्हार और भवानी कुम्हार के बीच हुए किसी परिवारिक बंटवारे का दावा प्रथम पक्ष कर रहे है, तो इसे साबित करने की जिम्मेवारी भी प्रथम पक्ष की ही है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष एवं सरजु प्रजापति तथा जगदीश प्रजापति का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक अधिकार, स्वत्व अथवा दखल कब्जा नहीं है। प्रथम पक्ष का दावा गलत और जाली कागजातो के आधार पर लाया गया है।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा, दाखिल कागजात एवं विद्वान अधिवक्ताओं के दलील सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का दावा सरजु प्रजापति तथा जगदीश प्रजापति के द्वारा दिनांक 27.06.2016 को किये गये एग्रीमेन्ट पर आधारित है, जिसका कोई कानूनन आधार नहीं है। द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत भूमि मुआवजे के तौर पर डी0वी0सी0 द्वारा प्राप्त है, यह प्रथम पक्ष भी स्वीकार करते है, परन्तु द्वितीय पक्ष से प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने एवं उसपर दखल कब्जा होने संबंधी अपना दावा साबित करने में प्रथम पक्ष असफल रहे है। उपरोक्त आलोक में उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बहाल रखने के निर्देश के साथ बिना किसी बाध्यकारी आदेश के वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्रथम पक्ष यदि चाहे तो अपने स्वत्व के आधार पर दखल कब्जा घोषित/प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।